पत्रांकः 8प / वि0– 04-01 / 2022 / 4212 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ0 रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 11/5/2022

विषयः– **बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के आलोक में जिला परिषद् के कार्यों का संचालन किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ख) एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–62 सहपठित धारा–146 अंतर्गत बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 विभागीय अधिसूचना सं0 –8प0 / वि0–04–106 / 2012 / पं0रा0 / 5307 / 154 दिनांक 30.07.2015 द्वारा अधिसूचित है। जिला परिषदों में कार्यों का संचालन उक्त नियमावली के आलोक में कराया जाना सुनिश्चित किया जाना है। जिला परिषद् के कार्य संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैः–

(i). **जिला परिषद् की संरचना एवं दायित्व** – अधिनियम की धारा 63 के अधीन जिला परिषद् की संरचना में जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, जिले के क्षेत्राधिकार के सभी पंचायत समिति के प्रमुख, जिले के अंशतः या पूर्णतः पड़ने वाले लोकसभा या राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, जिले के निर्वाचक के रूप में दर्ज राज्य सभा एवं राज्य विधान परिषद् के सदस्य सम्मिलित होंगे।।

जिला परिषद् निगमित निकाय होगी और अधिनियम की धारा 73 एवं 74 के अधीन सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होंगी।

(ii). प्रत्येक जिला परिषद् तीन माह में कम–से–कम एक बार अध्यक्ष द्वारा यथानियत तिथि एवं समय पर अपने कार्यों के संव्यवहार के लिए जिला परिषद् कार्यालय में बैठक करेगी।

D:\Amit 2022\Letter 2022.doc

(iii). **जिला परिषद् की विशेष बैठकें** –(1) जिला परिषद् का अध्यक्ष जिला परिषद् के 1/5 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, अनुरोध प्राप्ति की तिथि से दस दिनों के भीतर, जिला परिषद् की विशेष बैठक अनिवार्य रूप से बुलाएगा।

(2) अगर अध्यक्ष उप–नियम –(1) के अधीन विशेष बैठक न बुलाए तो जिला परिषद् के पूर्वोक्त सदस्य बैठक हेतु स्वयं एक तिथि का निर्धारण कर सकेंगे एवं जिला दंडाधिकारी को इसकी जानकारी देकर तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पूरे सात दिनों की पूर्व सूचना देकर विशेष बैठक आयोजित कर सकेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी बैठक बुलाने हेतु सूचना जारी करेगा।

(iv). **बैठकों में पदाधिकारियों की उपस्थिति**– (1) जिला परिषद् अपनी बैठकों में सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगी। यदि जिला परिषद् को ऐसा प्रतीत हो कि जिला के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता रखने वाला कोई सरकारी पदाधिकारी जो जिला परिषद् के अधीन कार्यरत न हो और जिला परिषद् की बैठक में उसकी उपस्थिति वांछनीय है तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उक्त प्रस्तावित बैठक की तिथि से कम–से–कम सात दिन पहले ऐसे पदाधिकारी को पत्र के द्वारा बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध करेगा और वह बीमारी या अन्य युक्तियुक्त कारण से उपस्थित होने में असमर्थ न हो तो बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा;

परन्तु ऐसा पदाधिकारी पत्र प्राप्त होने पर यदि वह उपर्युक्त कारणों से स्वयं बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो तो अपने उपपदीय या अन्य सक्षम अधीनस्थ पदाधिकारी को उस बैठक में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुदेश देगा। बिना किसी युक्तियुक्त कारण के बैठक से अनुपस्थित रहने पर जिला परिषद् ऐसे पदाधिकारियों /कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उनके नियंत्री पदाधिकारी को लिख सकेगी एवं इसकी सूचना जिला दण्डाधिकारी को भी दी जायेगी। जिला दण्डाधिकारी ऐसे कर्मियों से स्पष्टीकरण से पूछ सकेंगे एवं दोषी समझे जाने पर संबंधित कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सरकार को लिख सकेंगे।

(2) जिला परिषद् की बैठक में ऐसे सभी अपेक्षित सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों से एजेण्डा के विषय वस्तु पर वांछित सूचना /प्रतिवेदन की अपेक्षा की जा सकेगी;

परन्तु, यह कि ऐसे सभी सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों को बैठक के एजेण्डा एवं उस विषयवस्तु पर, जिसपर की उन पदाधिकारियों/कर्मियों से सूचना अपेक्षित हो, कि पूर्व जानकारी देना आवश्यक होगा।

(v). **बैठकों की सूचना** –(1) जिला परिषद् की साधारण बैठक की कम–से–कम दस दिन पूर्व सूचना और विशेष बैठक के लिए सात दिन पूर्व सूचना जिसमें ऐसी बैठक का स्थान, समय और कार्य जो किए जाऐंगे स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए, जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, सभी सदस्यों को एवं सरकार द्वारा यथाविहित पदाधिकारियों को दी जाएगी एवं उसकी प्रति जिला परिषद् के सूचनापट्ट के सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी। विशेष बैठक की दशा में, ऐसी सूचना में ऐसी बैठक के लिए किए गए लिखित आवेदन में उल्लिखित प्रस्ताव या उद्देश्य सम्मिलित रहेगा।

(2) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को सूचना उसके सामान्य निवास स्थान पर सामान्यतया डाक द्वारा या ऐसी अन्य रीति से भेजी जायेगी जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समुचित समझें।

(3) सदस्यों/अधिकारियों को सूचना के लिए तामिला की पावती मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित रखी जायेगी।

(vi) **बैठक का कार्यवृत्त**– (1) जिला परिषद् की बैठक के लिए कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से तैयार किया जाएगा और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी विषय सम्मिलित किया जा सकेगा, जो राज्यहित में हो एवं जिसपर, उसकी राय में, जिला परिषद् द्वारा विचार किया जाना चाहिए और इसमें अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी विषय शामिल होगा।

(2) विशेष बैठक की कार्यसूची में केवल वही विषय शामिल किया जाएगा जिस पर विचार करने के लिए विशेष बैठक बुलायी गई हो।

Ujjari

(3) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में विचार हेतु बुलायी गयी विशेष बैठक में केवल अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित विषय पर ही चर्चा की जायेगी।

(4) कार्यवृत्त की एक प्रति बैठक की तिथि, समय और स्थान उल्लेख करते हुए सूचना की प्रति के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंधित जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अग्रसारित की जाएगी।

(vii) **कारबार का क्रम**– जिला परिषद् की बैठकों में संव्यवहृत किए जाने वाले कारबार का क्रम, यथावश्यक परिवर्तनों सहित (Mutatis Mutandis), वही रखा जाएगा जो नियमावली में पंचायत समिति के लिए विहित किये गये है।

(viii) **बैठकों के लिए गणपूर्त्ति (कोरम)**– जिला परिषद् की बैठक में कार्यों के निष्पादन के लिए जिला परिषद् के कुल सदस्यों की एक–तिहाई सदस्य संख्या से गणपूर्त्ति होगी। यदि बैठक के लिए नियत समय में गणपूर्त्ति पूरी नहीं हो तो पीठासीन सदस्य एक घंटा तक प्रतीक्षा करेगा, और यदि उस अवधि के भीतर गणपूर्त्ति पूरी हो जाए तो बैठक चलेगी, किन्तु यदि ऐसी अवधि के भीतर गणपूर्त्ति पूरी नहीं हो तो पीठासीन सदस्य अगले दिन या भविष्य की ऐसी तिथि एवं समय के लिए बैठक स्थगित कर देगा और जैसा वह नियत करे । वह गणपूर्त्ति के अभाव में बैठक के आरंभ होने के पश्चात् किसी भी समय बैठक स्थगित कर सकेगा यदि उसका ध्यान गणपूर्त्ति के अभाव की ओर आकृष्ट किया जाए।

(ix) **पीठासीन सदस्य** –(1) जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे। यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों या अध्यक्ष अनुपस्थित हों और उपाध्यक्ष अनुपलब्ध हों तो उपस्थित सदस्य अपने बीच से किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित कर लेंगे;

परन्तु, जिला परिषद् की बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को यदि यह विश्वास हो कि अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति किसी विचारणीय विषय में आर्थिक रूप से अथवा व्यक्तिशः हितबद्ध है, और यदि उस भाव का प्रस्ताव लाया जाय तो ऐसे विचार–विमर्श के दौरान वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा या मत

नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा । उपस्थित जिला परिषद् के किसी भी अन्य सदस्य को ऐसे विचार--विमर्श चलते रहने के दौरान बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना जा सकेगा।

(2) जिला परिषद् के अध्यक्ष को हटाने हेतु बुलायी गई विशेष बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा, उपाध्यक्ष को हटाने हेतु बुलायी गई विशेष बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हटाने हेतु बुलायी गई विशेष बैठक की अध्यक्षता जिला दण्डाधिकारी द्वारा की जाएगी।

(3) बैठक के दौरान अगर अध्यक्ष को अस्थायी रूप से अपनी कुर्सी छोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए, तब वह अपनी अनुपस्थिति अवधि के लिए यथास्थिति उपाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने को कह सकेगा।

(x) **मत देने या विमर्श में भाग लेने की मनाही**-- जिला परिषद् का कोई भी सदस्य जिला परिषद् या इसकी किसी भी समिति की बैठक में विचारार्थ आये हुए ऐसे प्रश्न पर मत नहीं देगा या उसके विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि उस प्रश्न में जनसाधारण की सामान्य प्रयोज्यता के अलावा उसका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक या निजी हित निहित हो।

(xi) **बैठक की कार्यवाही** (1) जिला परिषद् की कार्यवाहियां इस प्रयोजनार्थ रखी गई एक पंजी में हिन्दी में देवनागरी लिपि में अभिलिखित की जाएंगी और बैठक के पीठासीन सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी। जिला परिषद् की कार्यवाही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

(2) कार्यवाहियों में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति उनके हस्ताक्षर के साथ और बैठक में किये गये विनिश्चय/संकल्प सम्मिलित होगें। यद्यपि बैठक में प्रस्तावित विभिन्न संकल्पों के संबंध में हुए विचार--विमर्श का ब्योरा देना आवश्यक नहीं होगा, फिर भी कार्यवाही अभिलिखित करने वाले अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे संकल्प का, कारणों सहित ब्योरा दे जो उसकी राय में अधिनियम या किसी भी अन्य विधि या उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से असंगत हैं।

(3) जिला परिषद् की कार्यवाही सभी सदस्यों तथा पंचायती राज विभाग को भेजी जाएगी। ऐसी प्रतियां पन्द्रह दिनों के भीतर भेजी जाएंगी। उप नियम–(2) के अधीन लिये गये संकल्प की दशा में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यवाही की प्रति चौबीस घंटे के भीतर पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बैठक की कार्यवाहियों के सुसंगत उद्धरण संबंधित विभागों के जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेगा।

(4) कार्यवाही-पंजी सदैव संबंधित जिला परिषद् के कार्यालय में रखी जाएगी। सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारियों या सक्षम न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में, कार्यवाही पंजी जिला परिषद् के कार्यालय से बाहर नहीं ले जायी जाएगी। जिला परिषद् की कार्यवाही पंजी का अभिरक्षक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा।

(5) कार्यवाही पंजी सर्वसाधारण की जाँच हेतु उपलब्ध रहेगी।

विश्वासभाजन

9/5/22

(डॉ0 रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक:–8प / वि0–04-01/ 2022 / 4212 / पं०रा०,पटना,दिनांक 11 / 5 / 2022

प्रतिलिपि:–सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/22

(डॉ0 रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक